वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 105/2025 **दिनांक- 20.03.2025**

अवगत कराना है कि आज दिनांक-20.03.2025 को STF लखनऊ व थाना सरायमीर की पुलिस टीम द्वारा जनपद-आजमगढ़ में हुई लूट की घटना में विगत 09 वर्षो से फरार/वांछित रू0 50,000/- का पुरस्कार घोषित अभियुक्त दुर्गेश कुमार उर्फ राधेश्याम उर्फ दीपक कुमार थाना क्षेत्र डिविजन नं0 08, ट्रान्सपोर्ट नगर, जालंधर (पंजाब) से गिरफ्तार किया गया है।

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 05.09.2016 आवेदक हरिदास पुत्र हीरालाल मो0 सिरादी का पुरा सरायमीर आजमगढ के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि घर के करीब मेन रोड पर प्रजापति जनरल स्टोर के नाम से मेरी दुकान है दिनांक 04.09.2016 को रात्रि लगभग 9.30 बजे मैं प्रतिदिन की तरह से अपनी दुकान को बन्द करने जा रहा था कि इतने में चार बदमाश असलहो से लैश होकर मेरी दुकान पर आ गये और मुझे और मेरे लडके को असलहा सटाकर नोट से भरे थैले को छीनने लगे मैने हाथा बायी भी किया परन्तु थैले में भरे लगभग 60 हजार रुपये लेकर असलहे को लहराते हुए खरेवाँ मोड की तरफ मोटर सायकिल से भाग गये । उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त प्रा0पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 206/2016 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत हुआ विवेचना के क्रम में अभियुक्त दुर्गेश उर्फ राधेश्याम उर्फ दीपक पुत्र शंकर राम निवासी पंडित दिलीप राय पट्टी थाना सादात जनपद गाजीपुर के का नाम प्रकाश में आया **। उपरोक्त अभियुक्त मुकदमा में फरार चल रहा था जिसमें श्रीमान् पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान चोरी/नकबजनी से सम्बन्धित अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिये 50,000 रूपये का ईमान घोषित किया गया था** । जिसमे आज दिनांक 20.03.2025 को अभियुक्त दुर्गेश उर्फ राधेश्याम उर्फ दीपक उपरोक्त को एसटीएफ टीम लखनऊ द्वारा गिरफ्तार कर थाना सरामयीर आजमगढ़ लाया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण –

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम एस0टी0एफ0 लखनऊ द्वारा दिनांक 19-03-2025 को विगत 09 वर्ष पूर्व थाना सरायमीर, जनपद-आजमगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 206/2016 धारा 392, 411 भादवि में वांछित रूपये 50,000/-का पुरस्कार घोषित अभियुक्त दुर्गेश उर्फ राधेश्याम उर्फ दीपक पुत्र शंकर राम निवासी पंडित दिलीप राय पट्टी थाना सादात जनपद गाजीपुर को थाना क्षेत्र डिविजन नं0 08, ट्रान्सपोर्ट नगर, जालंधर (पंजाब) से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय JMIC जालंधर, पंजाब द्वारा नियमानुसार स्वीकृत ट्रांजिट वारण्ट के माध्यम से जनपद आजमगढ़ लाया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1.दुर्गेश उर्फ राधेश्याम उर्फ दीपक पुत्र शंकर राम निवासी पंडित दिलीप राय पट्टी थाना सादात जनपद गाजीपुर।

अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 48/16 धारा 394/302/411 भादवि थाना तरवां जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0- 50/16 धारा 307/34 भादवि थाना तरवां जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0- 53/16 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना तरवां जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0- 146/16 धारा 394/411 भादवि थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 – 70/17 धारा 392 भा0द0वि0 थाना चन्दवक जनपद जौनपुर
6. मु0अ0सं0- 1465/ 17 धारा 174 ए भा0द0वि0 थाना चन्दवक जनपद जौनपुर
7. मु0अ0सं0 – 206/16 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
8. मु0अ0सं0 – 07/21 धारा 174 ए भा0द0वि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री जावेद आलम सिद्दीकी, उ0नि0 श्री चन्द्र प्रकाश मिश्रा, मुख्य आरक्षी मृत्युंजय सिंह, मुख्य आरक्षी यशवंत सिंह

2-चालक मुख्य आरक्षी नागेश मिश्रा मुतैना एस0टी0एफ0 लखनऊ

3-व0उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

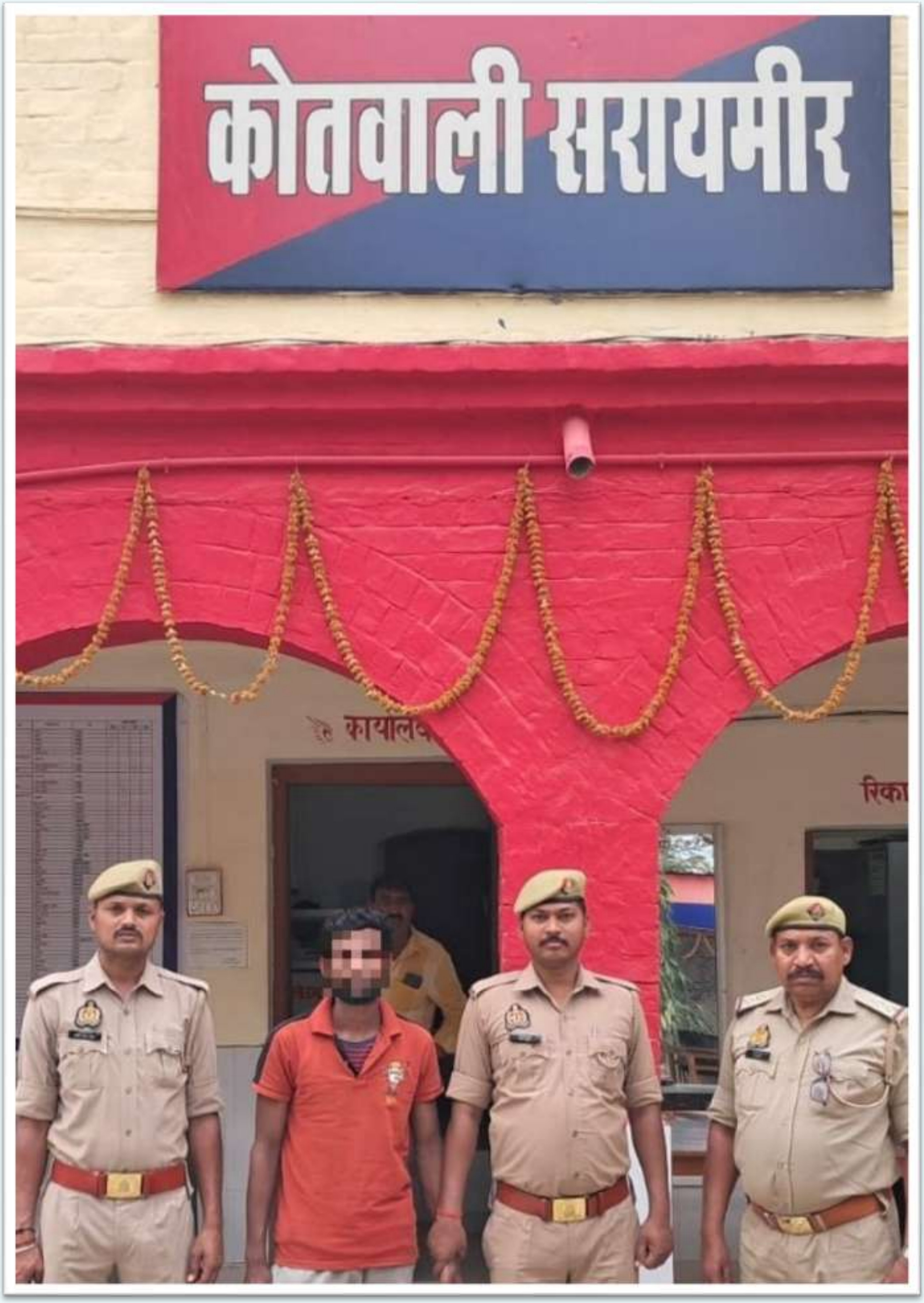
कोतवाली सरायमीर